



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

अग्रहायण 09, बुधवार, शाके 1944-नवम्बर 30, 2022  
Agrahayana 09, Wednesday, Saka 1944- November 30, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

जन अभियोग निराकरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 30, 2022

**जी.एस.आर.106** :-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं0 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0 प.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में-

- (i) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 6 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 43 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 43ए एवं उसकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जावेगी, अर्थात:-

"

43ए.	मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत परिवार द्वारा निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान कर पंजीकरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया	72 घण्टे	सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एशयोरेंस एजेन्सी, जयपुर	कार्यकारी निदेशक पॉलिसी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एशयोरेंस एजेन्सी, जयपुर	संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एशयोरेंस एजेन्सी, जयपुर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एशयोरेंस एजेन्सी, जयपुर
------	---	----------	---	---	---	---

"

- (ii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 8 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 49 ए एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 49बी, 49सी, 49डी, 49ई, 49एफ, 49जी, 49एच, 49आई, 49जे, 49के, 49एल, 49एम, 49एन तथा 49ओ एवं उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

"

49बी.	उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र जारी करना	90 दिवस	-	जिला कलक्टर	संभागीय आयुक्त	शासन सचिव
49सी.	पेट्रोलियम, डीजल, नेफ्ता, विनिर्माण भण्डारण, बिक्री, परिवहन की स्थापना के लिए आवश्यक एनओसी	15 दिवस	-	जिला कलक्टर	संभागीय आयुक्त	शासन सचिव
49डी.	विनिर्माता के अनुज्ञापत्र जारी	30 दिवस	सहायक नियंत्रक/निरीक्षक विधिक मापविज्ञान	उप नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक	नियंत्रक विधिक मापविज्ञान	शासन सचिव
49ई.	व्यवहारी के अनुज्ञापत्र जारी	30 दिवस	सहायक नियंत्रक/निरीक्षक विधिक मापविज्ञान	उप नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक	नियंत्रक विधिक मापविज्ञान	शासन सचिव
49एफ.	मरम्मतकर्ता के अनुज्ञापत्र जारी	30 दिवस	सहायक नियंत्रक/निरीक्षक विधिक मापविज्ञान	उप नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक	नियंत्रक विधिक मापविज्ञान	शासन सचिव
49जी.	पैकर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी	30 दिवस	सहायक नियंत्रक/निरीक्षक विधिक मापविज्ञान	उप नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक	नियंत्रक विधिक मापविज्ञान	शासन सचिव
49एच.	पैकर पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन	25 दिवस	सहायक नियंत्रक/निरीक्षक विधिक मापविज्ञान	उप नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक	नियंत्रक विधिक मापविज्ञान	शासन सचिव
49आई.	विनिर्माता के अनुज्ञापत्र में संशोधन	25 दिवस	सहायक नियंत्रक/निरीक्षक विधिक मापविज्ञान	उप नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक	नियंत्रक विधिक मापविज्ञान	शासन सचिव
49जे.	व्यवहारी के अनुज्ञापत्र में संशोधन	25 दिवस	सहायक नियंत्रक/निरीक्षक विधिक मापविज्ञान	उप नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक	नियंत्रक विधिक मापविज्ञान	शासन सचिव
49के.	मरम्मतकर्ता के अनुज्ञापत्र में संशोधन	25 दिवस	सहायक नियंत्रक/निरीक्षक विधिक मापविज्ञान	उप नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक	नियंत्रक विधिक मापविज्ञान	शासन सचिव
49एल.	विनिर्माता के अनुज्ञापत्र का	10 दिवस	सहायक नियंत्रक/निरीक्षक	उप नियंत्रक/संयुक्त	नियंत्रक विधिक	शासन सचिव

	नवीनीकरण		विधिक मापविज्ञान	नियंत्रक	मापविज्ञान		
49एम.	व्यवहारी के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण	10 दिवस	सहायक नियंत्रक/निरीक्षक विधिक मापविज्ञान	उप नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक	नियंत्रक विधिक मापविज्ञान	शासन सचिव	
49एन.	मरम्मतकर्ता के अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण	10 दिवस	सहायक नियंत्रक/निरीक्षक विधिक मापविज्ञान	उप नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक	नियंत्रक विधिक मापविज्ञान	शासन सचिव	
49ओ.	सत्यापन व मुद्रांकन हेतु प्राप्त आवेदन	30 दिवस	सहायक नियंत्रक/निरीक्षक विधिक मापविज्ञान	उप नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक	नियंत्रक विधिक मापविज्ञान	शासन सचिव	

- (iii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्या 9 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 53सी एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नई क्रम संख्या 53डी एवं उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

53डी.	आतिशबाजी (पटाखें) के लिए लाइसेंस (स्थाई) विस्फोटक नियम 2008 के तहत	6 माह	-	जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त	संभागीय आयुक्त/महानिदेशक पुलिस	शासन सचिव	
-------	--	-------	---	------------------------------------	--------------------------------------	--------------	--

- (iv) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्या 11 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 65एफ एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नई क्रम संख्या 65जी एवं उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

65जी.	राज्य में आयात कर प्राप्त होने वाले भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, देशी मदिरा एवं विभिन्न प्रकार के प्रासव के संबंध में जारी किये जाने वाले आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करना	ऑनलाईन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 7 दिवस	संबंधित इकाई का प्रभारी आबकारी अधिकारी	-	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति) मुख्यालय, उदयपुर	आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर	
-------	--	---	--	---	--	--------------------------------	--

- (v) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 25 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 154 बी एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 154सी, 154डी तथा 154ई एवं उनकी प्रविष्टियाँ जोड़ी जावेगी, अर्थात:-

154 सी.	जैव चिकित्सा अपषिष्ट	90 दिवस	अध्यक्ष	सदस्य सचिव एवं ग्रुप प्रभारी	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग,	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
---------	-------------------------	---------	---------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--

	प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत प्राधिकार		क्षेत्रीय अधिकारी	स.पर्या.अभि, वै.अधि., क.पर्या.अभि एवं कं.वै.अधि.	राजस्थान सरकार शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
154 डी.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत प्राधिकार	60 दिवस	अध्यक्ष	सदस्य सचिव एवं गुप प्रभारी	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	-	जहां पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है।
			क्षेत्रीय अधिकारी	स.पर्या.अभि, वै.अधि., क.पर्या.अभि एवं कं.वै.अधि.	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	जहां पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
154 ई.	कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार	90 दिवस	अध्यक्ष	सदस्य सचिव एवं गुप प्रभारी	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	-	जहां पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है।
			क्षेत्रीय अधिकारी	स.पर्या.अभि, वै.अधि., क.पर्या.अभि एवं कं.वै.अधि.	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	जहां पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(vi) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्या 27 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नांकित नयी क्रम संख्या 28 तथा उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी। अर्थात्:-

28.	रोजगार सेवा निदेशालय	1.	मुख्यमंत्री युवा संबल योजना (बेरोजगारी भत्ता) के अंतर्गत आवेदन	Application सबमिट हाने के उपरान्त आवेदन पर प्रथम कार्यवाही वैरिफाई/बैंक टू सिटिजन /रिजेक्ट /कॉल फॉर फिजिकल वैरिफिकेशन किए जाने की समय-सीमा अधिकतम 30 दिवस	जिला रोजगार अधिकारी/सहायक निदेशक	संबंधित लिपिक	जिला कलक्टर	निदेशक
-----	----------------------	----	--	---	----------------------------------	---------------	-------------	--------

[संख्या F16(1)RPG/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

आलोक गुप्ता,  
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।